बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–06/2022 – 20, पटना, दिनांक– 20/02/26.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड के भुगतान हेतु रू० 1,48,23,345/– (रू० एक करोड़ अड़तालिस लाख तेइस हजार तीन सौ पैंतालीस) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड के भुगतान हेतु पाँच माह (नवम्बर से मार्च तक) के लिए रू० 1,48,23,345/– (रू० एक करोड़ अड़तालिस लाख तेइस हजार तीन सौ पैंतालीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2–उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या –11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0002–छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष 28.02– संविदा सेवाएं, विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PTSPLA007 में Ledger Name- OPERATION & MAINTENANCE OF SCHOOLS & HOSTELS तथा Ledger id-17221 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

5–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6–प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7–प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन
20/2/26
(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक— पि०व०/02/ब० एवं आ०—17—06/2022 — 20. पटना, दिनांक— 20/02/26.

प्रतिलिपिः—(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि छात्रावासों में उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड का 05 माह का मानदेय का भुगतान हेतु हस्तांरित राशि का व्यय 31 मार्च 2026 के पूर्व अवश्य कर दिया जाय।

(5) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/02/26

सरकार के अपर सचिव।